

1345

संपत्ति अंशगार प्रमाण - पत्र

प्रमाण पत्र सं० 1/2022

आवेदन सं०

श्री/श्री Kavti Usman Eorums Shrawi A.Dr. S. Pradhan

निम्निलेखित अंशगारों और अंशगारों का सहीकरण प्रमाण - पत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिए गये पत्रों के अनुसार विवरण है)

इसलिए मैं इसके द्वारा पुष्पिता करता हूँ कि उक्त संपत्ति को पुष्पित करने वाले सहायकों और अंशगारों के बारे में तारी 1 नं और उक्त संपत्ति संपत्तियों में तारी 12-9-2011 से तारी 10/10/2011 की तारीखों की गर्ज और ऐसी संपत्तियों के बारे में निम्न सहायकों और अंशगारों का पता तला है -

क्र. सं.	[अ] संपत्ति का विवरण	[ब] संपत्ति की अवस्था	[क] सहायकों का प्रकार और क्र. सं.	पता के नाम			सहायकों की पेशेवर जानकारी		
				पता सं.	नावेदार	दिनांक सं.	वर्ष	पत्र	
1	<p><u>Nilloga</u></p> <p><u>Panndas</u></p> <p><u>noo - 228</u></p> <p><u>Raneri</u></p> <p><u>Khate No.</u></p> <p><u>367 Pkan- No.</u></p> <p><u>1020 Area</u></p> <p><u>21.17 Dec</u></p>	1	4	5	6	7	8	9	

सहायकों के अनुसार विवरण दर्ज करें

1-सहायकों - पत्र की तारीख में ध्यान का धरें और सुनिश्चित की जाय कि संपत्ति के बारे में उल्लेख हो।

2-पत्रों की तारीख में पत्रों की जायति और वर्णिक नमूना दर्ज करें।

मे यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवमारों को छोडा उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवमार का पता नही चला है।

जिन व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया-

हस्ताक्षर ASUN

(पदनाम)- 1-10-22

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण-पत्र की जांच निम्न व्यक्तियों ने की

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

(पदनाम)-

कार्यालय S. R. O. Kanur

तारीख 1-10-22



निष्पन्न पदाधिकारी का हस्ताक्षर

1-10-22

टिप्पणी- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहारों और अवमार दिखाये गये हैं वे आवेदक का प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण में भिन्न विवरण उपर किन्ही इन्ही व्यक्तियों की विचरित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वेसी दस्तावेजों के प्रमाणित संव्यवहारों (इन्डेन्स) इस प्रमाण पत्र में प्रामित न किये जायेंगे।

(1) निम्न अधिनियम की प्रास 57 के अधिन जो व्यक्ति बहियों और अवमारिया (इन्डेन्स) की प्रतियाँ देखना चाहते हो प्रमाण पत्र के प्रतिनिधि केना चाहते हो प्रथम जिन्ह विनिदिष्ट संपत्तियों अवमारों के प्रमाण-पत्र की जांचना हो उनके तलाशी करनी होगी। विहा भीम का मुगतान करने पर बहियों एवं अवमारियाँ संकट सामने रख दी जायगी।

(2) किन्तु चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने सत्य तलाशी नही की है इतलिए कार्यालय में आपेक्षित तलाशी अपन भरसक सक्धानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाण-पत्र में दिय गए तलाशी परिणाम की किसी मूल के लिए भी किसी तरह जिम्मेवार नही होगी।

✓(3) और चुकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और मैं उसके द्वारा दूढे गए संव्यवहारों और अवमारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया गया है, इसलिये विभाग आवेदक द्वारा न दूढे गये ऐसे संव्यवहारों अवमारों की छुट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पडता हो।

क्र. 419 रंजी, दि. 1-10-22 Mr. Ranti Kumar Somers  
45 No 20 20 20 4A Manager, Bank of Baroda  
Ranchi को डेपुटी,

निष्पन्न पदाधिकारी

शहरी क्षेत्र 3 (काके)

1-10-2022